महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-06/2025/364/**तीस-**3-2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष / मंडलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।**

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी**, 2025

विषय कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मा0 श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश, मा0 सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 05 **फरवरी**, 2025 **को लखनऊ में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह पाया गया कि दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों द्वारा हेलमेट न पहनना तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना है।**

2. उक्त बैठक में मा0 अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि :-

(1) **उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।**

(2) इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो।

(3) सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।

(4) सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

(6) सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हों और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं।

(7) नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाए।

(8) उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए।

3. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या-06/2025/364(1)/**तीस-**3-2025, **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

एल० वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।